राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2819/2018

रामसिंह जालोरिया —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये महानिदेशक (कारागार) राजस्थान, जयपुर।
2. अध्यक्ष, (पदोन्नति चयन समिति) एवं महानिदेशक (कारागार) राजस्थान, जयपुर।
3. जसवंत सिंह, बेल्ट नं. 2556, उप कारागृह, नैनवा जरिये महानिदेशक (कारागार) राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.08.2018
आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विश्वास सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 1991 में कारागार विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद उसे 2013 में हेड वार्डन के पद पर पदोन्नत किया गया और उसे उप कारागृह छबड़ा में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2017–2018 की रिक्ति के विरुद्ध डिप्टी जेलर के पदोन्नति पद पर अधिसूचना जारी की। अपीलार्थी ने पात्र होने के आधार पर नियत समय में डिप्टी जेलर के पद पर पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को अपना आवेदन प्रस्तुत किया। कार्यालय पत्र दिनांक 27.04.2018 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2017–2018 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। अधिसूचना के अनुसरण में अपीलार्थी 04.05.2018 को लिखित परीक्षा में शामिल हुआ। प्रत्यर्थी विभाग ने लिखित परिणाम घोषित किया जिसमें अपीलार्थी योग्य पाया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लिखित परीक्षा में योग्य होने के बाद अपीलार्थी को अगले ही दिन 05.05.2018 को शारीरिक और आउटडोर परीक्षा में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी को शारीरिक और बाहरी गतिविधियों की परीक्षा में भी योग्य पाया गया और उसे चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी साक्षात्कार के लिए निर्धारित बेंचमार्क अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए थे। अपीलार्थी साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और साक्षात्कार में उसे योग्य घोषित किया गया। अपीलार्थी को विश्वास था कि वह डिप्टी जेलर के पद पर चयनित हो

जाएगा, क्योंकि वह चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में योग्य पाया गया था। परन्तु घोषित परिणाम में अपीलार्थी का नाम उसमें नहीं पाया गया और उससे कनिष्ठ व्यक्ति को चयनित कर लिया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने तुरंत प्रत्यर्थी विभाग से संपर्क किया और इसके लिए कहा, जहां से उसे बताया गया कि निजी प्रत्यर्थी ने चयन प्रक्रिया में अपीलार्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, फलस्वरूप वह संबंधित श्रेणी के अंतर्गत संबंधित पद पर चयनित हो गया। प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई अवैध और अन्यायपूर्ण है क्योंकि चयन प्रक्रिया वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर होती है और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा यदि उसने इसके लिए निर्धारित बेंच मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अपीलार्थी ने जब प्रत्यर्थी संख्या–2 से संपर्क किया और आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच की जाएगी और यदि वह उस व्यक्ति से वरिष्ठ है तो उसके मामले पर विचार किया जाएगा। अपीलार्थी सभी तरह से अच्छी तरह से योग्य और पात्र उम्मीदवार है और हेड वार्डन के पद पर उसके काम को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय–समय पर उसे प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी किया गया (अनुलग्नक–3)। जिस अधिसूचना के माध्यम से रिक्तियां प्रकाशित की गई थी, उससे स्पष्ट है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 16 रिक्तियां, एसटी–1, एससी–5 और सहरिया–2 कुल 24 रिक्तियां संबंधित पद के लिए प्रकाशित की गई थी। लेकिन अपीलार्थी से अधिक कनिष्ठ व्यक्ति को इस पद पर चयनित किया गया है, इस पहलू की अनदेखी करते हुए कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ है और उसके मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा, लेकिन उन्होंने संबंधित पद पर अवैधानिक और मनमाने ढंग से निजी प्रत्यर्थी का चयन किया है। अपीलार्थी ने चयन सूची की जांच करवाई, जिससे पता चला कि चयन सूची चयन बोर्ड के सदस्यों द्वारा तैयार नहीं की गई थी और न्यायिक रूप से, सदस्यों ने अपने उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए साक्षात्कार चयन में अंक देने का अनुचित लाभ उठाया था। डिप्टी जेलर के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर होती है और इस तरह के मनमाने तरीके से उनकी वरिष्ठता की अनदेखी नहीं की जाएगी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थी ने चयन सूची में अपना नाम पाने के लिए न्यूनतम बेंचमार्क अंक हासिल नहीं किए हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने मनमाने तरीके से यह अनुमान लगाया है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद हेड वार्डन के पद से जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाला है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नोटिफिकेशन वर्ष 2017–18 में अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं किये जाने को अमान्य घोषित किया जावे। अपीलार्थी, निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ होते हुए भी अपीलार्थी की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए निजी प्रत्यर्थी की, की गई पदोन्नति को भी अपास्त किया

जावे एवं अपीलार्थी को उप कारापाल के पद पर वर्ष 2017–18 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति देते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 36 एवं महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 26.08.2004 के द्वारा जारी स्थाई आदेश संख्या–02/2004 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में न्यूनतम उर्तीणांक 40 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है एवं परेड व आउटडोर परीक्षा में न्यूनतम उर्तीणांक 40 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा एवं परेड व आउटडोर परीक्षा में सम्मिलित रूप से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला अभ्यार्थी साक्षात्कार हेतु आर्हता प्राप्त करेगा। साक्षात्कार सेवाभिलेख में न्यूनतम 45 प्रतिशत उर्तीणांक होंगे। लिखित परीक्षा, परेड व आउटडोर परीक्षा एवं साक्षात्कार व सेवाभिलेख परीक्षण में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाला अभ्यार्थी ही पदोन्नति हेतु चयन सूची में सम्मिलित होगा। स्थाई आदेश की प्रति अनुलग्नक आर/1 पर संलग्न है। अपीलार्थी श्री रामसिंह जालोरिया द्वारा पदोन्नति हेतु आयोजित की गई लिखित, परेड व आउटडोर परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार व सेवाभिलेख परीक्षण के पश्चात् अपीलार्थी रामसिंह जालोरिया द्वारा लिखित परीक्षा, परेड व आउटडोर परीक्षा एवं साक्षात्कार व सेवाभिलेख परीक्षण में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नही किये जाने के कारण अपीलार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया जो कि मुख्य प्रहरी से उप कारापाल पद पर पदोन्नति लिखित, आउटडोर एवं साक्षात्कार परीक्षा परिणाम वर्ष 2017–18 की अंकतालिका के क्रम संख्या–21 पर अंकित है (अनुलग्नक आर/2)। अपीलार्थी द्वारा लिखित परीक्षा, परेड व आउटडोर परीक्षा एवं साक्षात्कार व सेवाभिलेख परीक्षाण में 50 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने के कारण अपीलार्थी का नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी को उप कारापाल के पद पर वर्ष 2017–18 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति नहीं देने एवं उससे कनिष्ठ को पदोन्नति देने से व्यथित होकर दायर की गई है। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध उप कारापाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित परीक्षा में दिनांक 04.05.2018 को भाग लिया। अपीलार्थी ने परीक्षा के प्रथम चरण लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण परेड एवं आउटडोर में उत्तीर्णांक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाने के बाद

अपीलार्थी को दिनांक 05.05.2018 को शारीरिक और आउटडोर परीक्षा में शामिल किया एवं अपीलार्थी को शारीरिक और आउटडोर परीक्षा में भी योग्य पाया गया। जिससे उसे साक्षात्कार में शामिल किया। पदोन्नति हेतु साक्षात्कार में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक से ज्यादा अंक प्राप्त किये, परन्तु लिखित परीक्षा एवं परेड व आउटडोर परीक्षा एवं साक्षात्कार तथा सेवाभिलेख परीक्षण अर्थात सम्पूर्ण प्रक्रिया में समग्र रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तभी पदोन्नति हेतु चयनित किया जाता है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी को उप कारापाल से कारापाल पद पर पदोन्नति हेतु लिखित, आउटडोर एवं साक्षात्कार परीक्षा वर्ष 2017–18 में निम्नानुसार अंक अर्जित किये हैः–

क्र सं	रोल नं.	वरि. क्रमांक	जाति	नम कर्मचारी	लिखित परीक्षा एवं परेड आउटडोर परीक्षा पूर्णांक 200	साक्षात्कार एवं अभिलेख पूर्णांक 50	कुल योग पूर्णाक 250 उत्तीर्ण अंक 125	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण
21	137	93	एस.सी	श्री रामसिंह जालोरिया	प्राप्तांक	प्राप्तांक		अनुत्तीर्ण
					92	23.5	115.5	

उक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी समग्र रूप से कुल पूर्णाक (250 अंक) में से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक (125 अंक) प्राप्त करने में असफल रहा है। पदोन्नति परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की दशा में ही वरिष्ठता के आधार पर चयन/पदोन्नति सूची में नाम शामिल किया जाता है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही को नियमानुसार पाते है।

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य